न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—01 / 2022

दायर दिनांक 04.01.2022

जीसीएमएस आई0डी0ः—2022 / 1

1. कृष्ण गोपाल
2. भवानी सिंह
3. केंशती पत्नि हुक्मसिंह आयु 50 साल जाति मीना निवासी दनालपुर तहसील श्रीमहावीरजी
4. आशा
5. आशीष
6. रंजना
7. सरोज

} माता रामनिरी पुत्री हरिचरण नाबालिग जरिये पिता नेमीचंदी जाति मीना निवासी दलपुरा तहसील नादौती

8. साबूती
9. हुक्म बाई

} जाति मीना निवासी दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी

——सायलान—09

बनाम

1. मदन पुत्र सरवन आयु 45 साल
2. विजेन्द्र पुत्र सरवन आयु 40 साल
3. श्रीमती श्यामों पत्नि कल्ला उम्र 48 साल

} जाति मीना निवासी दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

4. तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

——गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री मुरारीलाल करसौलिया वकील सायलान
2. श्री कर्मेन्द्र चतुर्वेदी वकील गैरसायल

निर्णय

दिनांकः— 2-6-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर चाही 1 तथा आराजी खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर जाव प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 40 ऐयर वाके ग्राम दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0 में स्थित है, जिससे सायल स0 1, 2, 3 तथा 7, 8, 9 का 1/2 हिस्से के हिस्सेदार खातेदार है, तथा सायल संख्या 4, 5, 6 के 1/63 हिस्से के हिस्सेदार खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान सीधे सादे गरीद मजदूर पेशा व्यक्ति है, जो कि बाहर रहकर मजूदरी करते है, जबकि गैरसायलान बदमाश किस्म के व्यक्ति है, जो कि लडाई झगडा करते रहते है।

सायलान की उक्त आराजीयात रोड किनारे है, जो कि वेशकीमती जमीन है, जिसको देखकर गैरसायलान के मन में बदयांति आ गयी है, और गैरसायलान ने सायालन की उक्त आराजीयात भूमि पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा कर लिया तथा पक्का निर्माण कर कृषि भूमि को गैर कृषि में परिवर्तन कर दिया।

उक्त परिस्थितियों में सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

सायलान जब मजदूरी कर बाहर से अपने गांव आये तो सायलान ने दिनांक 15.12.2021 को गैरसायल न0 1 ता 3 से कहा कि आपने हमारी उक्त आराजीयात भूमि पर कब्जा क्यों किया है, तथा उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित क्यों किया है तो गैरसायालन ने कहा कि तुम्हारा उक्त आराजीयात भूमि से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो लाठी के बल पर उक्त आराजीयात भूमि पर कब्जा कर लिया है, सब सायलान गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा समझ वाया तथा सायलान ने खुद ने भी समझाया लेकिन गैरसायलान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आये और गैरसायलान ने सायलान की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया।

सायालन की उक्त आराजीयात भूमि एक मात्र आजीविका का साधन है, यदि गेरसायालान से सायालान को उक्त आराजीयात भूमि नहीं दिलायी गयी तो सायलान के बच्चो के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र आदेशात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेशात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कर आदेश दिया जावे कि आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर चाही प्रथम, खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर जाव प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 40 ऐयर वाके ग्राम दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान न0 1, 2, 3 तथा 7, 8, 9 के 1/21 हिस्से तथा सायल न0 4, 5, 6 के 1/6 हिस्से की भूमि से गैरसायलान अपना स्वयं का कब्जा हटा ले तथा किये गये निर्माण को ध्वस्त कर सायलान का कब्जा संभालाया जावे इस आशय की तहरीर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कर आदेशित किया जावे तथा वसूरत दीगर गैरसायलान के खर्चे पर तुडवाया जावे तथा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि वे सायलान को उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर चाही तथा खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर जाव प्रथम वाके दानालपुर में सायलान के उक्त हिस्से की आराजीयात को शांति पूर्वक काश्त करने देवे, तथा उपयोग उपभोग करने देवे, जबरन बेदखल ना करे तथा सायलान की भूमि में कोई पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति पहुंचती हो।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से श्री कमेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:—

1. उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र मय वाद पत्र सायलान द्वारा गैरसायलान के खिलाफ इस सम्मानीय अदालत में प्रस्तुत करना स्वीकार है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की लेश मात्र भी संभावना नही है।
2. मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नं0 665 रकवा 0:20 है० ग्राम दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी में होना स्वीकार है पुनः खसरा नं0 665 रकवा 0:20 है० लिखकर कुल किता 2 कुल रकवा 0:40 है० ग्राम दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी में स्थित होना स्वीकार नहीं है
3. मद नं0 3 प्रार्थना पत्र गलत है अस्वीकार है इस मद में सायलान द्वारा समस्त कथन गलत अंकित करवा दिये है गैरसायलान नं० 3 पर्दानशीन औरत है गैरसायलान शान्ति प्रिय व्यक्ति है जिनका किसी से कोई झगडा नही है सायलान लठैत मुठमर्द गिरोह बंद व्यक्ति है जो येनकेन प्रकारण गैरसायलान को हैरान परेशान कर इनकी जाने शुदा आराजी को छीनना चाहते है।
4. मद नं० 4 प्रार्थना पत्र गलत है अस्वीकार है इस मद में सायलान द्वारा समस्त कथन गलत अंकित करवा दिये है गैरसायलान द्वारा यह कथन सही अकित किया है कि उक्त आराजी पर गैरसायलान काबिज है गैरसायलान द्वारा उक्त आराजी में पशुधन बाधने चारा भुस रखने हेतु कृषि विकासार्थ निर्माण कर रखा है अब सायलान के मन में बदयान्ति आ गयी है येन केन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रकारण गैरसायलान को हैरान परेशान कर उनके कब्जे शुदा आराजी को छीनना चाहते है तथा प्रार्थन पत्र गलत तथ्यों आधार पर प्रस्तुत किया।

5. मद नं० 5 प्रार्थना पत्र गलत है अस्वीकार है इस मद में सायलान द्वारा समस्त कथन गलत अंकित करवा दिये है तथाकथित तारीख 15:12:2021 एकदम गलत अंकित की है इस मद में बकिया उज्यत स्वीकार नही है गैरसायलान का उक्त आराजी पर पचासो साल से बाहमी बदल पत्र के आधार पर कब्जा चला आ रहा है तथा गैरसायलान द्वारा उक्त आराजी में चारो तरफ से बाउन्डी बाल कर रखी है दुकानात का निर्माण कर रखा है जिसकी जानकारी सायलान सहित सभी गांव वालो को है वादीगण का खं० नं0 665 के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है सायलान उक्त दावे की आड लेकर गैरसायलान की कब्जेशुदा व निर्मित आराजी से बेदखन कर कब्जा करत चाहता है जिसकी इजाजत दिया जाना किसी भी प्रकार न्याय संगत नही है।
6. मद नं० 6 प्रार्थना पत्र गलत है अस्वीकार है इस मद में वादीगण द्वारा समस्त कथन गलत अंकित करवा दिये है गैरसायलान द्वारा अपने बाहमी बदले में प्राप्त हुई आराजी में निर्माण करवा रखा है जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है।
7. मद नं० 7 वाद पत्र गलत है अस्वीकार है जब आराजी का सालो पूर्व ही बदला हो गया तो उक्त कथन हास्सास्पद है कि उक्त आराजी आजीवका का साधन है।
8. मद नं० 8 वाद पत्र गलत है अस्वीकार है गैरसायलान का द्वारा विधिनुसार ही निर्माण करवाया है जिसे किसी भी प्रकार ध्वस्त 'करवाया जाना न्याय संगत नहीं है

सायलान द्वारा समस्त मैटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए गलत तथ्यो के आधार पर दावा मय प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। गैरसायलान की कब्जे का इल्म सायलान को भली भांति रहा है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। आराजी खसरा नं० 665 रकवा 20 ऐयर के किसी भी हिस्से पर वादीगण का कब्जा नही है तथा साथलान के सारे अधिकार इन्सटूमिन्ट हो चुके है इसलिए मुकतमा चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है।सायलान एवम गैरसायलान के मध्य 50

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सौ साल पूर्व आराजी का बाहमी तौर पर बदला हो गया तथा तथा बदले वाली आराजी पर सायलान एवम गैरसायलान अपने अपने हिस्से पर काबिज है गैरसायलान द्वारा खं० नं0 665 के खरो तरफ बाउन्डी बाल कर रखी है तथा दुकानात का बर्षो पूर्व दुकानात का निर्माण कर रखा है जिसे सायलान छीनना चाहते है इस विना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करे।

सायलान ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 311 वाके ग्राम दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा कि आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर चाही प्रथम, खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर जाव प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 40 ऐयर वाके ग्राम दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान नम्बर 1, 2, 3 तथा 7, 8, 9 के 1/21 हिस्से तथा सायल न0 4, 5, 6 के 1/63 हिस्से की भूमि से गैरसायलान अपना स्वयं का कब्जा हटा ले तथा किये गये निर्माण को ध्वस्त कर सायलान का कब्जा संभालाया जावे इस आशय की तहरीर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को जारी कर आदेशित किया जावे तथा वसूरत दीगर गैरसायलान के खर्चे पर तुडवाया जावे तथा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि वे सायलान को उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर चाही तथा खसरा न0 665 रकबा 20 ऐयर जाव प्रथम वाके दानालपुर में सायलान के उक्त हिस्से की आराजीयात को शांति पूर्वक काश्त करने देवे, तथा उपयोग उपभोग करने देवे, जबरन बेदखल ना करे तथा सायलान की भूमि में कोई पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करने का निवेदन किया। गैरसायलान अधिवक्ता ने दौराने बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र को दोहराया और कहा कि सायल[illegible] समस्त मैटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए गलत तथ्यो के आधार पर दावा मय प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। गैरसायलान की कब्जे का इल्म सायलान को भली भांति रहा है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:41 IST
Reason: SelfAttested

खारिज होने योग्य है। आराजी खसरा नं० 665 रकवा 20 ऐयर के किसी भी हिस्से पर 50 साल से वादीगण का कब्जा नही है तथा साथलान के सारे अधिकार इन्सटूगिस हो चुके है इसलिए मुकतमा चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है।सायलान एवम गैरसायलान के मध्य 50 सौ साल पूर्व आराजी का बाहमी तौर पर बदला हो गया तथा तथा बदले वाली आराजी पर सायलान एवम गैरसायलान अपने अपने हिस्से पर काबिज है गैरसायलान द्वारा खं० नं0 665 के खरो तरफ बाउन्डी बाल कर रखी है तथा दुकानात का बर्षों पूर्व दुकानात का निर्माण कर रखा है जिसे सायलान छीनना चाहते है इस विना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 311 वाके ग्राम दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान खातेदार काश्तकार है उक्त विवादित आराजीयात से गैरसायलान का कोई ताल्लुक/संबंध नहीं है। सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 04.01.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 665 वाके ग्राम दानलपुर तहसील श्रीमहावीरजी में मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 2/6/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:41 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन